**प्रकरण संख्या 3/2019 ईस्माईल व अन्य बनाम नरेन्द्र व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.06.2021 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा, बेदखली, इन्द्राज दुरस्ती, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं एवं धारा 23 संविदा अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की दादी श्रीमती खातुन पिता हिम्मत शाह के नाम आराजी नंबर 3726, 3828, 3829, 3831, 3832, 3833 कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज थी, जिसके हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमती खातुन से दिनांक 11.11.1963 करवाया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (अ) के अनुसार फ्रेगमेन्ट में आता है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर उक्त विक्रय पत्र शून्य घोषित किया जावे तथा वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।<br><br>प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.1995 को प्रकरण में कुल 4 तनकियात कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 10.10.2003 से वादीगण का वाद अदम हाजरी में खारिज कर दिया, जिसे नंबर पर लेने हेतु वादीगण द्वारा अपनी अनुपस्थिति का हवाला देते हुए दिनांक 17.10.2003 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2012 को खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 7 की ओर से वकील श्री रत्नेश शाह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।<br><br>अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके अधिवक्ता भण्डारी साहब का स्वर्गवास हो गया तथा काफी समय बाद रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट को दिनांक 16.10.2[illegible] को कहा कि कब्जा हटा लो तब उसे निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:29:35 IST
Reason: SelfAttested

**प्रकरण संख्या 3/2019 ईस्माईल व अन्य बनाम नरेन्द्र व अन्य**

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को देखे बिना राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2003 को अपीलान्ट का प्रकरण अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया, जिसे पुनः नंबर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रकरण में आदेश दिनांक 10.03.2003 की प्रति नहीं है, जबकि दिनांक 10.03.2003 को कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है, बल्कि प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस अुनसार उक्त दिनांक 10.10.2003 है, जिसकी आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 2/97 में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का यह कथन कि आदेश की प्रति नहीं है, उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2012 को त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2012 अपास्त किय जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर कायम शुदा तनकियात पर उभयपक्षों को साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:29:35 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर